अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 140/2020

वादीगण–

1. रायमल पुत्र सोनाराम
2. शंकरराम पुत्र सोनाराम
   जातियान–बणजारा निवासीगण–डेह,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सेठाराम पुत्र सोनाराम
2. बादरराम पुत्र सोनाराम
   जातियान–बणजारा निवासीगण–डेह, तहसील जायल (नागौर)
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शिवप्रकाश सिंवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री शिवप्रकाश सिंवर व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 47/2 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 533 दिनांक 25.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है जो निर्णय का ही एक भाग है।

1. वादी रायमल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 47/2 रकबा 2.2662 हैक्टेयर में से 0.7554 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी शंकरराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 47/2 रकबा 2.2662 हैक्टेयर में से 0.7554 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

28/9/2021
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी सेठाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 47/2 रकबा 2.2662 हैक्टेयर में से 0.3777 हैक्टेयर पश्चिमी मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी बादरराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 47/2 रकबा 2.2662 हैक्टेयर में से 0.3777 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

नोट–:कार्यालय उप पंजीयक डेह में दिनांक 04.01.2019 को क.स 201901227000027 पर पंजीबद्व हकत्याग तीजादेवी, रिड़मल, ठाकर, कमला, चान्द, कमली ने ग्राम डे हके खसरा नंबर 47/2 रकबा 14.00 बीघा में अपना सम्पूर्ण हक रायमल,सेठाराम,शंकरराम,बादरराम के हक में कर दिया, जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। इसलिये उक्त हक त्याग के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने के पश्चात् ही डिकी अनुसार तहसीलदार जायल राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/9/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner